

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26122025-268823
SG-DL-E-26122025-268823

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395]
No. 395]

दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947
DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUASH 3, 1947

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 388
[N. C. T. D. No. 388

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

फा. सं. 10(13)/पर्या०/2015/7597.—भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 के अपने आदेश के द्वारा आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियां, फल, दूध, अनाज, अंडे, बर्फ (खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त), मुर्गी पालन से प्राप्त उत्पाद, नमक को ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों तथा खाली/आंशिक रूप से भरे वाहनों को दिनांक 09.10.2015 के अपने आदेश के अनुसरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) से दी गई छूट को हटाने का निर्देश दिया गया,

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी 30 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना फा० सं० 10(13)/पर्या०/2015/6345-6372, दिनांक 21.01.2016 की अधिसूचना फा० सं० 10(13)/पर्या०/2015/436-458, दिनांक 15.02.2016 की अधिसूचना फा० सं० 10(13)/पर्या०/2015/1049-1072 (दिल्ली राजपत्र: असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित), माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015, 16.12.2015 तथा 21.01.2016 के आदेशों और ईपीसीए द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के अनुपालन में, आवश्यक

वस्तुओं को ले जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) से दी गई छूट को एतद्वारा वापस लिया जाता है।

संदीप मिश्रा, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th December, 2025

F. No. 10 (13)/Env/2015/7597.—Hon'ble Supreme Court of India vide its Order dated 26.09.2025 has directed for removal of exemption granted to commercial vehicles carrying Essential Commodities viz. Vegetables, Fruits, Milk, Grains, Egg., Ice (to be used as food item), Poultry Items, Salt & Empty/Partial laden vehicles from Environment Compensation Charge (ECC) in pursuance to its Order dated 09.10.2015

In pursuance to above stated order, the notification F.No.10(13)/Env/2015/6345-6372 dated 30th October 2015, notification F.No.10 (13)/Env/2015/436-458 dated 21.01.2016, notification F.No.10(13)/ Env/2015/1049-1072 dated 15.02.2016, issued by the Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi (published in part-IV of the Delhi Gazette: Extraordinary) in compliance of the Hon'ble Supreme Court's orders dated 09.10.2015, 16.12.2015 and 21.01.2016 and clarifications issued by EPCA, is hereby withdrawn to the extent of removal of exemption granted to commercial vehicles carrying Essential Commodities from Environment Compensation Charge (ECC).

SANDEEP MISHRA, Special Secy. (Environment)